

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / हिनि / 28232 / आक्षेप / 2021-22

दिनांक : 28/6/2021

समस्त संयुक्त निदेशक

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त प्राचार्य डाईट

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें

विषय: कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान शिक्षा विभागीय कार्मिक की मृत्यु होने पर 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि हितकारी निधि से प्रदान करने बाबत।

उपर्युक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर से शिक्षा विभागीय कार्मिक की मृत्युपरान्त उनके आश्रितों को 1.50 लाख रुपये सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

दिनांक 26.06.2021 को निदेशालय में माननीय शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन शिक्षा विभागीय कार्मिकों की मृत्यु कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान हुई है, उन्हें हितकारी निधि से 1.50 लाख की अतिरिक्त राशि सहायता राशि के बतौर प्रदान की जावे अर्थात् शिक्षा विभागीय कार्मिक जिनकी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हुई है, परन्तु वह ड्यूटी पर नहीं थे एवं 50 लाख रुपयें के अनुदान के पात्र नहीं हैं, उनके आश्रित को ($1.50 \text{ लाख} + 1.50 \text{ लाख}$) कुल 3.00 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जावे। उपरोक्त निर्णय के अनुसार इस पत्र के साथ एक आवेदन पत्र जारी किया जा रहा है, इसके सभी विन्दुओं की पूर्ति कराई जाकर सक्षम अधिकारी के मार्फत आवेदन पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त योजना, योजनान्तर्गत सहायता हेतु वे कार्मिक जिनकी दिनांक 01.04.2021 को या उसके पश्चात्वर्ती दिनांक को मृत्यु हुई हो, पात्र होंगे।

इस योजना की आप अपने अधीनस्थ समस्त को जानकारी प्रदान करें।
अपूर्ण आवेदन पत्र के कारण सहायता राशि वितरित नहीं होती है, तो समस्त जिम्मेदारी
कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रण अधिकारी की होगी।

संलग्नः— प्रपत्र


(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक एवं अध्यक्ष
हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. संपादक शिविरा पत्रिका।
8. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड करने बाबत।


(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक एवं अध्यक्ष
हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी-निपिं (राजस्थान शिक्षा विभाग, बीकानेर) से कर्मचारी के कोरोना के कारण निधन पर
पितीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

- 1 प्राची/प्रार्थिनी(कर्मचारी पर जास्ति/अतिक्रम)
का नाम एवं सम्बन्ध
- 2 स्थाई पता एवं मोबाइल नम्बर
- 3 गृहक जर्मचारी का नाम
- 4 गृहक जर्मचारी का पट एवं पदस्थापन स्थान
- 5 कर्मचारी की मृत्यु तिथि (मूल मृत्यु प्रगति पर संलग्न करें)
- 6 उपर्युक्त जर्मचारी जी मृत्यु राज्य रोग में रहते हुए हुई (सेवा समाप्ति आदेश की प्रति संलग्न करें।)
- 7 कोरोना पोजिटिव होने के प्रभाव की तल्ग प्रश्नापत्रि
- 8 कोरोना पोजिटिव होने के प्रभाव की तल्ग प्रश्नापत्रि
- 9 कोरोना पोजिटिव होने एवं कोरोना से मृत्यु होने का प्रमाण-पत्र (मुख्य विभिन्नता एवं स्थारथ्य अधिकारी द्वारा जारी)
- 10 दिनांक 01.04.2021 के बाद निधन होने पर पूर्व में हितकारी निपिं से सहायता राशि प्राप्त हुई या नहीं, दिवरण प्रस्तुत करें।
- 11 अंशदान कटौती वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, से इ0रुपीएराओंवं शेड्युल की प्रति संलग्न करें।
- 12 परिवार के सदस्यों का विवरण (निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें)

क्र.सं.	नाम	आयु	गृहक से सदय	विवाहित/अविवाहित	ग्राम पंचायत

- 13 प्राची/प्रार्थिनी का दैक खाता विवरण

दैक खाता (पास युक्त प्रथम पृष्ठ की प्रति या निररत दैक रात रात करें) :

- 14 मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण विल्युत सही है। इन विन्दुओं में कोई असत्यता हो तो हितकारी-निपिं, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विल्युत जी भी उद्यित रामझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी। कोरोना इयूटी पर पोजिटिव होने से वरकात मृत्यु होने पर राज्यादेश के अनुसरण में राशि 50 लाख रुपये की अनुप्राप्त राशि हेतु मेरे द्वारा आवंदन नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षर संरथा प्रधान(मोहर)

आसित(प्राची/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य स्वैकं शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाया जाना है।

प्रगाणित किया जाता है कि प्राची/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है। इनकी मृत्यु कोरोना के दौरान हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी-निपिं, शिक्षा-विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशासा सहित अद्येषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
(मुख्यालय)